WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072023-247735
CG-DL-E-31072023-247735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945
No. 449] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(सक्षम प्राधिकारी सेल)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 2023 की 04

सा.का.नि. 571(अ).—केन्द्र सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा यथासंशोधित बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 [इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है] (1988 का 45) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 19 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या 2021 की 02 सा.का.नि, 499, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोप किए जाने वाले कार्यों के अलावा, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारियों को निम्नलिखित अधिकारिता क्षेत्र आवंटित करती है:-

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	अधिकारिता
1.	सक्षम प्राधिकारी, कोलकाता	आयकर प्राधिकरणों*, जिनका मुख्यालय कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी में है, द्वारा बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृत्यों का निष्पादन करते हुए संदर्भित सभी मामले।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

2.	सक्षम प्राधिकारी, चेन्नई	आयकर प्राधिकरणों*, जिनका मुख्यालय बेंगलूरु, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद में है, द्वारा बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृत्यों का निष्पादन करते हुए संदर्भित सभी मामले।
3.	सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली	आयकर प्राधिकरणों*, जिनका मुख्यालय दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, कानुपुर में है, द्वारा बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृत्यों का निष्पादन करते हुए संदर्भित सभी मामले।
4.	सक्षम प्राधिकारी, मुंबई	आयकर प्राधिकरणों*, जिनका मुख्यालय मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नागपुर, पणजी, भोपाल, रायपुर में है, द्वारा बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृत्यों का निष्पादन करते हुए संदर्भित सभी मामले।

* इस संबंध में संबंधित आयकर प्राधिकरणों की राज्यक्षेत्रीय क्षेत्र-वार अधिकारिता वही होगी जो सीबीडीटी की दिनांक 18-05-2017 की अधिसूचना संख्या 40/2017/फा.सं. 173/429/2016-आईटीए-I [जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1621(ई) में प्रकाशित हुई थी] में दी गई है।

बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए जाना वाला कार्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पहले से किए जा रहे कार्य के अतिरिक्त होगा।

[फा. सं. ए-50050/76/2023-सीए सेल]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(COMPETENT AUTHORITY CELL)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 04 of 2023

G.S.R. 571(E).— In exercise of the powers conferred under section 7 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 [hereinafter called as “Act”](45 of 1988) as amended by Finance Act, 2021 (13 of 2021), and in supersession of the notification number 02 of 2021 G.S.R, 499(E), dated the 19th July, 2021, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government is pleased to allocate the following areas of jurisdiction among the Competent Authorities authorized under sub-section (1) of section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) for the purpose of the said Act:-

Sl. No.	Name of Competent Authority	Jurisdiction
1.	Competent Authority, Kolkata	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Kolkata, Bhubaneshwar, Patna, Guwahati.
2.	Competent Authority, Chennai	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Bengaluru, Chennai, Kochi, Hyderabad.
3.	Competent Authority, New Delhi	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Delhi, Chandigarh, Ludhiana, Jaipur, Lucknow, Kanpur.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

4.	Competent Authority, Mumbai	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Mumbai, Ahmedabad, Surat, Pune, Nagpur, Panaji, Bhopal, Raipur.

* The territorial area wise jurisdiction of the respective Income Tax Authorities in this regard shall be same as provided for in CBDT Notification No 40/2017/F. No. 173/429/2016-ITA-I dated 18-05-2017 [S.O. 1621(E)] published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary.

The work performed by the Competent Authorities authorized under sub-section (1) of section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) in exercise of powers conferred under section 7 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act 1988 shall be in addition to the work already being performed by the Competent Authorities.

[F. No. A-50050/76/2023-CA Cell]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Hq)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.